


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—: कार्यालय-आदेश :-

निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल-शिक्षा) द्वारा उनके नाम के अंकित परीक्षा/पद हेतु विज्ञापित भर्तियों में सम्मिलित होने हेतु विभाग से अनापत्ति चाही है। इनकी विभागीय जांच अनुभाग से शून्य की सूचना प्राप्त हो चुकी है। अतः निम्नांकित प्राध्यापकों को उनके नाम के सामने अंकित परीक्षा हेतु अनापत्ति एतद् द्वारा जारी की जानी है:-

क्र. सं.	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान (राउमावि)	विषय	जन्मतिथि	सम्मिलित होने वाली परीक्षा/साक्षात्कार
1.	आंकाक्षा दुबे, साकरोदा (कराबड़) उदयपुर	गणित	22/08/1988	आर.ए.एस. 2018 परीक्षा में साक्षात्कार में सम्मिलित होने बाबत्।
2.	नरेन्द्र सिंह चौहान, स्वामी विवेकानन्द माडल स्कूल, कपासन (चित्तौड़गढ़)	भौतिक विज्ञान	28/11/1983	एसीएफ एण्ड रेंजर ऑफिसर 2019 परीक्षा में सम्मिलित होने बाबत्।
3.	रेणु, बा. महामन्दिर, जोधपुर	गणित	06/05/1987	एसीएफ एण्ड रेंजर ऑफिसर 2019 परीक्षा में सम्मिलित होने बाबत्।

यदि इनका चयन उक्त सेवा में हो जाता है तो इन्हें विभाग छोड़ने से पूर्व पुनः अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य है। क्र.स. 02 पर अंकित कार्मिक को 26.09.2017 द्वारा परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त कार्मिकों के नाम के सामने अंकित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनापत्ति जारी किये जाने हेतु पंजिका अवलोकनार्थ, आदेशार्थ प्रस्तुत है।




संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-3/अनापत्ति/भौतिक-गणित/2019/203

दिनांक:- 22/09/2020

लिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संबंधित संभाग।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक/ संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
3. संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक।
4. सिस्टम एनेलैरिसिट कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
5. निजी एवं रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर